रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 2011/फाल्गुन 10, 1932
No. 103] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 2011/PHALGUNA 10, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 176(अ).—सड़क मार्ग द्वारा वहन नियम, 2010 का प्रारूप, सा0का0नि0 सं0 505 (अ), तारीख 15 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराए जाने से पैंतालीस दिन के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 17 जून, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और जनता से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 (2007 का 41) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क मार्ग द्वारा वहन नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों -

(क) "अधिनियम" से सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ; और